न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 45/2024

तारीख रजू:- 26.06.2024

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर

R.A.S.

अमरसिंह पुत्र शिवलीराम जाति जाटव निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली- प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार साहब तहसील सूरौठ, जिला करौली, राजस्थान (लैण्ड होल्डर) ———अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :- 1. श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :- 27.10.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 मे दर्ज किया है कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 2259 रकवा 0.17 है0, 2260 रकवा 0.37 है0, 955 रकवा 0.10 है0, 956 रकवा 0.08 है0, 957 रकवा 0.08 है0, 958 रकवा 0.10 है0, 959 रकवा 0.04 है0 कुल किता 7 कुल रकवा 0.94 है0 बांके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली में स्थित है उक्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 1219 मि0 रकवा 2 बीघा 4 विस्वा, 1322 रकवा 1 बीघा 19 विस्वा बांके ग्राम सूरौठ मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा भूमि आराजी खसरा नम्बर 2588 रकवा 0.10 है0, 2605 रकवा 0.19 है0, 2606 रकवा 1.22 है0, कुल किता 3 कुल रकवा 1.51 है0 बांके ग्राम सूरौठ में स्थित है, उक्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 1869 मि. रकवा 3 बीघा 13 विस्वा, 1864 मि. रकवा 16 विस्वा, 1865 मि0 रकवा 14 विस्वा, 1866 मि०रकवा 15 विस्वा, 1868 मि0 रकवा 3 विस्वा, 1867 मि0, 1869 मि० रकवा 18 विस्वा, बांके ग्राम सूरौठ दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 मे दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 1 प्रार्थनापत्र में दर्ज भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी पैतृक भूमि है जिसकी खातेदारी प्रार्थी के दादाजी दौजी पुत्र भीका के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी, उसके स्वर्गवास होने के बाद उक्त भूमि विरासत में जरिये नामान्तकरण संख्या 8 दिनांक 03.09.1967 के द्वारा प्रार्थी के पिता शिवलीराम व रतनलाल, देवीलाल, गिर्राज, के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई, इस प्रकार प्रार्थी के पिताजी का उक्त आराजीयात में वहिस्सा 1/4 भाग की भूमि दर्ज रिकॉर्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 मे दर्ज किया है कि प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से लिखते समय शिवलीराम के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अमल दरामद करते समय शिवलाल दर्ज हो गया जो कतई गलत व खिलाफ कानून है, और वही क्रम आज तक बदस्तूर है, अर्थात प्रार्थी के पिताजी का नाम वर्तमान जमाबंदी में शिवलाल दर्ज है जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात यथा अंकतालिका सैकेण्ड्री स्कूल परीक्षा 1991, बैंक पासबुक, बिजली का बिल, परिवार राशन कार्ड, निर्वाचक नामावली, आधार कार्ड, पैनकार्ड, मृत्यु प्रमाणपत्र आदि समस्त दस्तावेजात में प्रार्थी के पिता का नाम शिवलीराम दर्ज है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 मे दर्ज किया है कि प्रार्थी के पिताजी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में शिवलीराम के स्थान पर शिवलाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल करते समय सहवन पटवारी से गलत दर्ज हो गया, जिसके कारण प्रार्थी व अन्य के नाम विरासत का नामान्तकरण नहीं खुल सका है जिससे प्रार्थी के हक–हकूक काफी प्रभावित हो रहे है, इसलिये उक्त गलती को दुरुस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 मे दर्ज किया है कि प्रार्थी के अशुद्ध नाम शिवलाल के स्थान पर शुद्ध नाम शिवलीराम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने से अप्रार्थी सरकार व अन्य को एवं राजस्व अभिलेखों में कोई किसी भी प्रकार की हानि व क्षति होने की कोई संभावना नहीं है जबकि शुद्ध नहीं किये जाने पर प्रार्थी को काफी क्षति हो रही है। इस कारण भी प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाना विधि सम्मत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 मे दर्ज किया है कि प्रार्थी द्वारा अपने पिताजी के नाम को सही करवाने का एक प्रार्थना पत्र दिनांक 30.05.2024 को अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार सूरौठ के समक्ष पेश किया तो तहसीलदार साहब द्वारा प्रार्थना पत्र को अपने पास रख लिया और प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध करने की मना कर दी थी और कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लाओ तब ही गलत नाम शुद्ध होगा इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 मे दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 एलआर एक्ट के तहत निश्चित कोर्ट फीस पर अन्दर म्याद पेश है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 मे दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र की समाअत व सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय हाजा को प्राप्त है

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उपरोक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 1 प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में गलत दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम शिवलाल को दुरूस्त कर उसके स्थान पर सही नाम शिवलीराम दर्ज करने

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

के आदेश फरमाये जावे, तथा अमल दरामद हेतु एक तहरीर अप्रार्थी तहसीलदार सूरौठ को जारी होवे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने बाद तामील कार्यालय तहसीलदार सूरौठ जिला करौली के पत्रांक कोर्ट/2025/15 दिनांक :— 23.01.2025 से उक्त प्रकरण का जबाव प्रार्थना पत्र मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का सूरौठ के अुनसार बिन्दुवार पेश कर जबावं प्रार्थना पत्र के मद नं01,2,3 में दर्ज किया है कि मद संख्या 01,2,3 राजस्व रिकॉर्ड की हद तक स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद सं0 4 में दर्ज किया है कि दावा की मद संख्या 04 अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद सं0 5 में दर्ज किया है कि दावा की मद संख्या 05 वादी स्वयं स्वीकार करें।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद सं0 6 में दर्ज किया है कि दावा की मद संख्या 06 अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद सं0 7,8 में दर्ज किया है कि दावा की मद संख्या 07, 08 कानूनी है।

श्रीमान संलग्न राजस्व रिकॉर्ड अनुसार जमाबंदी ऑनलाईन राजस्व ग्राम सूरौठ खाता संख्या 256 ख.नं0 2259 किता 7 रकबा 0.94 हैक्ट में शिवलाल पुत्र दौजी हि0 1/4 जाति जाटव सा0देह खातेदार तथा खाता संख्या 254 तथा ख०नं0 2588 किता 3 रकबा 1.51 हैक्ट में शिवलाल पुत्र दौजी ही0 1/4 जाति जाटव सा०देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।

ग्राम सूरौठ के नामा0 संख्या 08 अनुसार दौजी पुत्र भीका कौन चमार के मृत्यु उपरांत वारिसान देवीलाल, रतनलाल, शिवली एवं गिर्राज कौम चमार हिस्सा बराबर के नाम दर्ज हुआ। जिसकी प्रति संलग्न है। वादीगण द्वारा अपने पिता के अन्य कागजात जैसे पहचान पत्र, राशन कार्ड, मृत्यू प्रमाण पत्र, वोटर लिस्ट तथा स्वयं का शपथ पत्र तथा सरपंच ग्राम पंचायत सूरौठ का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।

अतः संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार राजस्व ग्राम सूरौठ की वर्तमान चालू ऑनलाईन जमाबंदी के खाता संख्या 256 व खाता संख्या 254 में शिवलाल पुत्र दौजी हि0 1/4 सा0 देह खातेदार के स्थान पर शिवली पुत्र दौजी हि0 1/4 जाति

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जाटव सा0 देह खातेदार नियमानुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रतिवेदन मय रिपोर्ट हल्का पटवारी सूरौठ संलग्न कर श्रीमान की सेवा सादर प्रेषित है।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल खतौनी बन्दोवस्त सम्बत् 2046—66, नकल नामान्तकरण सं0 8 दिनांक 03.09.1967, नकल जमाबन्दी सं0 2022—25, नकल जमाबन्दी सं0 2071—74 किता 2, फोटो प्रति निर्वाचक नामावली 2003 भाग संख्या 64 ग्राम सूरौठ, फोटो प्रति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,राजस्थान सैकण्ड्री स्कूल परीक्षा, 1991 अंक तालिका अमरसिंह बंशीवाल पुत्र शिवलीराम जाटव, फोटो प्रति भारतीय स्टेट बैंक शाखा सूरौठ खाता संख्या 51087134241 अमरसिंह बंशीबाल पुत्र शिवलीराम जाटव निवासी बयाना रोड, अम्बेडकर कोलोनी सूरौठ जिला करौली, फोटो प्रति विद्युत बिल के. नम्बर 210594034201 दिनांक 01.04.2024 अमरसिंह बंशीबाल पुत्र शिवलीराम जाटव के नाम से जारी किया हुआ, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड सं0 337 किनोदेवी पत्नि सिवली जाटव निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 364286913823 अमरसिंह बंशीबाल पुत्र शिवलीराम निवासी बयाना रोड, अम्बेडकर कोलोनी सूरौठ जिला करौली, फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र कमांक FTP1480426 अमरसिंह पुत्र शिवलीराम निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन नं0 66 दिनांक 22.09.2011 मृतक शिवलीराम जाटव पुत्र दौजीराम जाटव निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला करौली, 50/—रूपया के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अमरसिंह बंशीबाल पुत्र शिवलीराम जाति जाटव निवासी अम्बेडकर कोलोनी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली के द्वारा शपथ पत्र दिनांक 3.05.2025, सरपंच ग्राम पंचायत सूरौठ द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 30.05.2024, फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र संख्या RJ/11/086/204155 शिवली पुत्र दौजी निवासी मकान नं0 1220, जाटव बस्ती सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला सवाईमाधोपुर के नाम से दिनांक 20.11.1995 को जारी किया हुआ है, फोटो प्रति परिवार कार्ड शिवलीराम जाटव निवासी अम्बेडकर कोलोनी सूरौठ के नाम से जारी किया हुआ है पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दौराने सेटिलमेन्ट ग्राम सूरौठ के साबिक खसरा नम्बरान से नवीन खसरा नम्बरान निम्नानुसार कायम किये गये हैं:–

साबिक खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
1219 मिन	1 बीघा 2 बिस्वा	955 956 957 958 959	0.10 0.08 0.08 0.10 0.04
1322	1 बीघा 19 बिस्वा	2259 2260	0.17 0.37
1869 मिन	3 बीघा 13 बिस्वा	2588	0.10
1864 मिन	16 बिस्वा	2605	0.19
1865 मिन	14 बिस्वा		
1866 मिन	15 बिस्वा		
1868 मिन	3 बिस्वा		
1867 मिन 1869 मिन	18 बिस्वा	2606	1.22

नकल खतौनी बन्दोवस्त सम्बत् 2046–66 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 2588 रकबा 0.10 है0, 2605 रकबा 0.19 है0, 2606 रकबा 1.22 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.51 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन की खातेदारी देवीलाल रतनलाल शिवलाल गिर्राज पि0 दौजी चमार हिस्सा बराबर निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल खतौनी बन्दोवस्त सम्बत् 2046–66 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 955 रकबा 0.10 है0, 956 रकबा 0.08 है0, 957 रकबा 0.08 है0, 958 रकबा 0.10 है0, 959 रकबा 0.04 है0, 2259 रकबा 0.17 है0, 2260 रकबा 0.37 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.94 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन की खातेदारी देवीलाल रतनलाल शिवलाल पि0 दौजी हि0 3/4 बराबर, तेजपाल पुत्र कजौडी हि0 1/4 चमार निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल नामान्तकरण सं0 8 दिनांक 03.09.1967 खाता सं0 78 के खातेदार दौजी के फौत होने पर दौजी पुत्र भीका कौम चमार सा0देह के स्थान पर देवीलाल

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रतनलाल शिवली गिर्राज पि0 दौजी कौम चमार सा0देह हिस्सा बराबर के नाम विरासत का भरकर तस्दीक किया गया है।

नकल जमाबन्दी सं0 2022–25 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1219 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1322 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन की खातेदारी दौजी पुत्र भीका कौम चमार सा0देह कदीम के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण नम्बरी 8 दिनांक 03.09.1967 से दौजी पुत्र भीका के बजाय देवीलाल रतनलाल शिवली गिर्राज पि0 दौजी चमार हिस्सा बराबर दर्ज किया गया का अंकन है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 955 रकबा 0.10 है0, 956 रकबा 0.08 है0, 957 रकबा 0.08 है0, 958 रकबा 0.10 है0, 959 रकबा 0.04 है0, 2259 रकबा 0.17 है0, 2260 रकबा 0.37 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.94 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन की खातेदारी तेजपाल पुत्र कजौडी हि0 1/4 देवीलाल पुत्र दौजी हि0 1/4, बृजमोहन पुत्र रतनलाल हि0 1/12, मोहरसिंह पुत्र रतनलाल हि0 1/12, सुफेदी पुत्री रतनलाल हि0 1/12, शिवलाल पुत्र दौजी हि0 1/4 जाति जाटव सा. ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2588 रकबा 0.10 है0, 2605 रकबा 0.19 है0, 2606 रकबा 1.22 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.51 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन की खातेदारी गिर्राज पुत्र दौजी हि0 1/4, देवीलाल पुत्र दौजी हि0 1/4, बृजमोहन पुत्र रतनलाल हि0 1/12, मोहरसिंह पुत्र रतनलाल हि0 1/12, सुफेदी पुत्री रतनलाल हि0 1/12, शिवलाल पुत्र दौजी हि0 1/4 जाति जाटव सा. ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति निर्वाचक नामावली 2003 भाग संख्या 64 ग्राम सूरौठ की क्रम संख्या 850 पर किन्नो पत्नि शिवली, 851 पर अमरसिंह पुत्र शिवली, 852 पर शिवली पुत्र दौजी का नाम अंकित है।

फोटो प्रति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,राजस्थान सैकण्ड्री स्कूल परीक्षा, 1991 अंक तालिका अमरसिंह बंशीवाल पुत्र शिवलीराम जाटव के नाम से जारी की गई है।

फोटो प्रति भारतीय स्टेट बैंक शाखा सूरौठ खाता संख्या 51087134241 अमरसिंह बंशीबाल पुत्र शिवलीराम जाटव निवासी बयाना रोड, अम्बेडकर कोलोनी सूरौठ जिला करौली के नाम से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फोटो प्रति विद्युत बिल के. नम्बर 210594034201 दिनांक 01.04.2024 अमरसिंह बंशीबाल पुत्र शिवलीराम जाटव के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड सं0 337 किन्नोदेवी पत्नि सिवली जाटव निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 364286913823 अमरसिंह बंशीबाल पुत्र शिवलीराम निवासी बयाना रोड, अम्बेडकर कोलोनी सूरौठ जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र क्रमांक FTP1480426 अमरसिंह पुत्र शिवलीराम निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन नं0 66 दिनांक 22.09.2011 मृतक शिवलीराम जाटव पुत्र दौजीराम जाटव निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

50/—रूपया के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अमरसिंह बंशीबाल पुत्र शिवलीराम जाति जाटव निवासी अम्बेडकर कोलोनी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली के द्वारा शपथ पत्र दिनांक 3.05.2025 पेश किया है जिसमें दौजीराम का सजरा अंकित किया है, दौजीराम के चार पुत्र देवीलाल, रतनलाल, शिवलीराम, गिर्राज दर्शाये गये हैं तथा अंकित किया है कि रेवन्यू विभाग के कर्मचारियों द्वारा सेटिलमेन्ट के वक्त सहवन से शिवलीराम के स्थान शिवलीराम का नाम शिवलाल गलत दर्ज कर दिया है, जबकि मेरे पिता का सभी दस्तावेज व रिकार्ड में सही नाम शिवलीराम दर्ज है। जिसको शुद्ध किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है।

सरपंच ग्राम पंचायत सूरौठ द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 30.05.2024 में अंकित किया है कि प्रमाणित किया जाता है कि अमरसिंह पुत्र शिवलीराम जाति जाटव निवासी सूरौठ के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार इनके पिता का नाम शिवलीराम पुत्र दौजीराम जाति जाटव निवासी सूरौठ जिला करौली का नाम भूलवश शिवलाल दर्ज हो गया है। प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार इनके पिता का नाम शिवलीराम ही है। मैं इन्हें भली भॉति जानती हूँ।

फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र संख्या RJ/11/086/204155 शिवली पुत्र दौजी निवासी मकान नं0 1220, जाटव बस्ती सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला सवाईमाधोपुर के नाम से दिनांक 20.11.1995 को जारी किया हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फोटो प्रति परिवार कार्ड शिवलीराम जाटव निवासी अम्बेडकर कोलोनी सूरौठ के नाम से जारी किया हुआ हैं।

तहसीलदार सूरौठ ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार राजस्व ग्राम सूरौठ की वर्तमान चालू ऑनलाईन जमाबंदी के खाता संख्या 256 व खाता संख्या 254 में शिवलाल पुत्र दौजी हि0 1/4 सा0 देह खातेदार के स्थान पर शिवली पुत्र दौजी हि0 1/4 जाति जाटव सा0 देह खातेदार नियमानुसार दुरूस्त किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम शिवलीराम है, जबकि प्रार्थी के पिता के दस्तावेज एवं साबिक रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम शिवली पुत्र दौजी है। इसलिए मुताविक साबिक व हाल राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी के पिता का सही नाम शिवली पुत्र दौजी है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम शिवलाल दर्ज हो गया है। जिसकी प्रार्थी दुरूस्ती कराने का अधिकारी साबित है। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 955 रकबा 0.10 है0, 956 रकबा 0.08 है0, 957 रकबा 0.08 है0, 958 रकबा 0.10 है0, 959 रकबा 0.04 है0, 2259 रकबा 0.17 है0, 2260 रकबा 0.37 है0, 2588 रकबा 0.10 है0, 2605 रकबा 0.19 है0, 2606 रकबा 1.22 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन में खातेदार शिवलाल पुत्र दौजी हि0 1/4 जाति जाटव सा. ग्राम खातेदार के स्थान पर शिवली पुत्र दौजी हि0 1/4 जाति जाटव सा. ग्राम खातेदार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश दिये हैं तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/10/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)